

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 4654
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम

4654. श्री हरीभाई पटेल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में मध्यस्थों की एकपक्षीय नियुक्ति के संबंध में दिए गए निर्णय की प्रतिक्रिया के तौर पर सरकार द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) सरकार द्वारा यह किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना है कि विवाद समाधान में दक्षता बनाए रखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का संशोधन संबंधी प्रक्रिया से समाधान किया जाए ;

(ग) ये संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी पक्षकारों से संबंधित मध्यस्थता प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ;

(घ) सरकार द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों से व्यापक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए संशोधन प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के परामर्श को सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) सरकार मध्यस्थता के लिए समग्र कानूनी ढांचे में विस्तार करने वाले इन परिवर्तनों का किस प्रकार आकलन करती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ.) : माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रस्तावित संशोधन अपेक्षित परामर्शों की प्रक्रिया के अधीन हैं। विधायी-पूर्व परामर्शी प्रयोग के भाग के रूप में, प्रारूप विधेयक विभाग की वेबसाइट पर पणधारियों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए रखा गया था। और, माध्यस्थम् की विषय-वस्तु के रूप में, यह संविधान की सातवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, प्रारूप विधेयक पर राज्यों से भी टिप्पणियां मांगी गई हैं। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप, अन्य बातों के साथ, माध्यस्थम् के माध्यम से संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्धन करने, न्यायालय हस्तक्षेप को कम करने तथा विवादों के त्वरित निपटान को सुकर बनाने का लक्ष्य रखता है।
